श्यामलाल — शंकरलाल आदि क्र.सं. 1289/22

आज्ञा पत्र

[illegible].25 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश की, बहस सुन ली गई। प्रत्यर्थी के वकील रेस्पो. ने बहस हेतु समय चाहा। अतः बहस वकील रेस्पो. दिनांक 5.6.25 को पेश हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5.6.25 पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.6.25 को पेश हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16.6.25 पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......स्वीकार......... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 128 ए/ 2022

1 श्यामलाल आयु 64 साल पुत्र स्व. भानाराम जाति जाट निवासी ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 शेराराम पुत्र भानाराम जाति जाट
2 ग्यारसी देवी पुत्री भानाराम जाति जाट
3 हरदेवाराम पुत्र बोयताराम
4 अमरचन्द दत्तक पुत्र नारायणराम
5 परमेश्वर
6 लालाराम पुत्रगण स्व. चन्द्राराम
7 भंवरी देवी पुत्री स्व. चन्द्राराम
8 लक्ष्मी पत्नी स्व. चन्द्राराम
9 गणेश पुत्र पीथाराम
10 तारामीण
11 सुमन पुत्रियां स्व. पीथाराम
12 ज्याना पत्नी स्व. पीथाराम
13 गिरधारी पुत्र स्व. सुखदेवाराम
14 गीता देवी
15 चावली
16 मंजू देवी पुत्रियां स्व. सुखदेवाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।
17 प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।
18 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फतेहपुर जिला सीकर।
19 प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
20 तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

21 पटवारी पटवार हल्का ताखलसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
22 जिला कलेक्टर महोदय सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.10.2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी मु.नं. 48/2013 बउनवानी सुखदेवाराम बनाम श्यामलाल आदि

उपस्थिति :
1. श्री श्रवण कुमार झाझड़िया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 48/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 136, 137, 120, 121, 178, 147, 145, 187/1, 187/2 वाके ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की तामील की प्रकिया पूरी किये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया तथा आदेश 05 नियम 19 सीपीसी के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इस कारण से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश 05 नियम 19 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकार है 'जहां पर सम्मन नियम 17 के अन्तर्गत लौटा दिया गया है वहां तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या करवाएगा जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं की गई है और इस दशा मे कर सकेगा या करवा सकेगा जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो ठीक समझे और या तो यह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है या ऐसी तामील कर आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील करने वाले अधिकारी की कोई परीक्षा किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये है। वादीगण ने वाद आराजी खसरा नम्बर 136, 137, 120, 121, 178, 147, 145, 187/1 व 187/2 के संबंध में पेश किया था। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 187/1 के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया। वादीगण ने वाद में कथन किया है कि अमरचन्द, नारायण के गोद चला गया, न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेज अथवा मौखिक साक्ष्य के अमरचंद को नारायण के गोद मान लिया और उसके पक्ष में डिक्री जारी कर दी। किसी व्यक्ति के सांपत्तिक अधिकारों का निर्धारण करने के लिये ठोस साक्ष्य की आवश्यकता विधिनुसार होती है। वादीगण का वाद पत्र के माध्यम से कथन रहा कि दिनांक 28.03.1960 को जरिये नामांतकरण संख्या 36 खसरा नम्बर 145 का खाता सुरजा भाना के व खसरा नम्बर 147 का खाता नामांतकरण संख्या 37 का माना के नाम से तथा खसरा नम्बर 136, 137 का खाता नामांतकरण संख्या 38 के जरिये बोयता के नाम से दर्ज हो गया। इसका अर्थ है कि वर्तमान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी इन खातेदारों के नाम से है। इस नामांतकरण को किसी भी न्यायालय में 50–55 वर्ष तक कोई चुनौती नहीं दी गई तो केवलमात्र वाद प्रस्तुत कर नामांतकरण को निरस्त नहीं करवाया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर, बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार रामगढ़ को न्यायालय में भिजवाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 21.12.2013 को पत्रांक 836 भू.अ. द्वारा उक्त आदेश की पालना हेतु पटवारी हल्का ग्राम ताखलसर को भेजा गया। पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया जो कि कभी मौके पर गया ही नहीं, ना ही तहसीलदार मौके पर गया ना ही पक्षकारान को कोई सूचना दी गई। जबकि पक्षकारानों को सूचना दिया जाना आवश्यक था और तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर कार्यवाही को अंजाम देने के लिये कानूनी रूप से बाध्य था परन्तु समस्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से पटवार हल्का द्वारा तैयार की गई है, जिसका सबूत तहसीलदार द्वारा पत्रांक 67 भू.अ./14 दिनांक 31.01.2014 पत्रावली पर उपलब्ध है एवं फर्द बंटवारा प्रस्ताव में पटवारी हल्का ने स्वयं भी अंकन किया है। पटवारी हल्का द्वारा की गई बंटवारा कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं है ना ही कानूनन पटवारी बंटवारे की कार्यवाही हेतू अधिकृत है इस प्रकार नियम 18 से 21 की सरासर अवहेलना कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया है जो निर्णय का आधार है इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत अपील मियाद के उपरांत प्रस्तुत की गई है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही पर अपीलान्ट जो खातेदार, काश्तकार थे को सुना ही नहीं गया। इस कारण अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश व निर्णय, डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो सकी। प्रस्तुत अपील मियाद के उपरांत प्रस्तुत की गई है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट जो खातेदार, काश्तकार थे को सुना ही नहीं गया। इस कारण अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश व निर्णय, डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो सकी। इस निर्णय की जानकरी होने व विधिक सलाहकार की राय लेने के पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलान्ट ने युक्तियुक्त कारण दर्ज कर धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विधि का सारभूत प्रश्न अन्तर्गत है क्योंकि जांच रिपोर्ट व बंटवारा प्रस्ताव विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति तहसीलदार की नहीं होकर पटवारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हल्का द्वारा की गई है जिसको विधिनुसार अधिकार नहीं है। विचाराधीन आदेश का आधार ही शुन्य है और प्रारम्भतः शुन्य विधि विपरित आदेश के संबंध में परिसीमा लागु ही नहीं होती है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 48/2013 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.10.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध संयुक्त रूप से एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 97 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील किये जाने का प्रावधान है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक ही अपील पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट की अपील विधिक बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 48/2013 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.10.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.02.2014 के विरूद्ध संयुक्त रूप से एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 97 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील किये जाने का प्रावधान है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक ही अपील पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट की अपील विधिक बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट नये सिरे से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकरण के गुणावगुण, तामील के बिन्दु एवं मियाद के बिन्दु पर तत्समय विवेचन कर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट विधिक बिन्दू पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर